न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—351/2019/223 (2019/00351)

1. हरजी पुत्र स्व0 भागू, जाति रावत, निवासी ग्राम दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचंद शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजेर ।
3. शुभम जैन पुत्र पदमचंद जैन, नि0 ग्राम जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 20.9.2013 अंतर्गत वाद संख्या 54/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 3 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कथन किया कि ग्राम दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन अवस्थित खाता संख्या 180 के खसरा नंबर 68/1085 रकबा 0.07 है0, 68/1221 रकबा 0.03 है0, 70/1222 रकबा 0.13 है0, 862 रकबा 0.68 है0, 94/1070 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 है0 लाडू, हरजी, छोटिया एवं बरदा पुत्रगण स्व0 भागू के संयुक्त ख्चाातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियां रही है । जिन कृषि भूमियों में प्रत्येक सहखातेदार का 1/4, 1/4 हिस्सा विधिनुरूप निहित करता है । जिन कृषि भूमियों में से खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 में से 3/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारान लाडू, छोटिया एवं बरदा पुत्रगण स्व0 भागू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा सांवरलाल पुत्र छोगा, जाति जाट, निवासी नया गांव गोला, तह0 पीसांगन द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर 3/4 हिस्सा जरिये नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 20.1.2009 द्वारा क्रेता सांवरलाल के नाम खातेदारी का अंकन किया गया । सांवरलाल से 3/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर 3/4 हिस्सा जरिये नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 20.5.2009 द्वारा वादी के नाम खातेदारी का अंकन किया गया जो कि वादपत्र

के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 मं किये गये अंकन से सिद्ध है । साथ ही कथन किया कि शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का निहित करता है जिस भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक विभाजन नही हुआ है जिससे उनके मध्य धोरा, सींव, डोल–पाल काश्त इत्यादि को लेकर विवाद होता रहता है । अतः खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके प्रतिनिधियों को स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति से पाबंद किया जावे कि वह वादी के 3/4 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 27.7.2011 को वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.8.2012 को न्यायालय में तहसीलदार, पीसांगन द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 20.9.2013 को पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. दौराने अपील आवेदनकर्ता शुभम जैन पुत्र श्री पदमचंद जैन, निवासी जेठाना तह0 पीसांगन द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 ग्राम दौलतखैड़ा, तह0 पीसांगन स्थित भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.9.2013 को अंतिम डिक्री पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 का अपीलाधीन भूमि में 3/4 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/4 हिस्से का बंटवारे की आज्ञाप्ति पारित की है जिसके अनुसार कुरेजात रिपोर्ट आने के उपरांत खसरा नंबर 862 रकबा 0.51 है0 भूमि दक्षिण दिशा की ओर का विभाजन वादी/रेस्पो0 संख्या 1 जितेन्द्र कुमार के पक्ष में किया गया एवं अपीलांट/प्रतिवादी हरजी को खसरा नंबर 862 में से रकबा 0.17 है0 भूमि उत्तरी हिस्सा बंटवारा कर दिया गया है । तद्ोपरांत राजस्व अभिलेख में अंतिम डिक्री की पालना में नामांतकरण संख्या 366 दिनांक 15.10.2014 को स्वीकृत किया गया तथा नवीन खसरा नंबर 1632/862 रकबा 0.51 है0 वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया एवं खसरा नंबर 1631/862 रकबा 0.17 है0 भूमि अपीलांट हरजी के नाम दर्ज की गई है । राजस्व नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम कर दी गई। वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.5.2018 आवेदनकर्ता को 1632/862 रकबा 0.51 है0 भूमि विक्रय कर कब्जा हस्तातंरित किया गया है । राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 531 दिनांक 8.6.2018 स्वीकृत किया गया तथा वर्तमान जमाबंदी 2069 से 2072 में खाता संख्या 81 में खसरा नंबर 1632/862 रकबा 0.51 है0 भूमि का आवेदनकर्ता खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा आवेदनकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर पूर्व व उत्तर में 6–7 फुट उंची दीवार का निर्माण कर काबिज है इस कारण अपीलाधीन भूमि में हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार है । आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदनकर्ता को रेस्पो0 संख्या 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे ।

5. अपीलांट द्वारा उक्त आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही प्रार्थना पत्र व अपील पर बहस की गई । प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि आवेदनकर्ता द्वारा विवादित भूमि गलत क्रय की गई है इस कारण आवश्यक पक्षकार नहीं है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदनकर्ता अपीलाधीन भूमि के सद्भाविक क्रेता होकर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो कि आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें सुना जाना आवश्यक है ।

6. प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । आवेदनकर्ता अपीलाधीन भूमि का अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 पारित होने के पश्चात् पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.5.2018 द्वारा क्रय की गई है तथा आवेदनकर्ता के पक्ष में नामांतकरण संख्या 531 दिनांक 8.6.20158 स्वीकृत किया जाकर खाता संख्या 81 में खसरा नंबर 1632/862 रकबा 0.51 है0 का खातेदार काश्तकार दर्ज होने से अपीलाधीन भूमि में आवेदनकर्ता हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार जिसे मूल अपील में सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः आवेदनकर्ता का उपरोक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आवेदनकर्ता को अपील में प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया जाता है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अभिभाषक नियुक्त किया गया था परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 27.7.2011 को वादी के बंटवारे के वाद को प्राथमिक डिक्री हेतु गलत तौर से सहमति प्रदान करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करवा ली तथा कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया एवं न ही मौका पर्चा रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में गलत कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जिससे अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हुआ है । यह भी कथन किया कि अभिभाषक के कुकृत्य का दण्ड प्रार्थी/अपीलांट को नहीं दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को जवाबदावा पेश करने का कोई अवसर नही दिया जबकि मौखिक बंटवारे के अनुसार पूर्व में ही अपीलाधीन भूमि विभाजित है एवं अपीलाधीन भूमि के एक भाग पर अपीलांट की मिट्टी की डोल आज भी बनी हुई है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपीलांट को मुगालते में रखते हुए प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करवा ली जिसकी जानकारी होते ही धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है जिसे स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 को निरस्त किया जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 1 व 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 4.2.2011 को आदेशिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 सरकार द्वारा यह कथन कर जवाबदावा पेश नहीं किया कि महोदय सरकार का हित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है । अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 20.7.2011 को अधिवक्ता श्री रूपचंद चौधरी ने वकालतनाम पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा । दिनांक 27.7.2011 को उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित हुए तथा पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा मौखिक निवेदन किया कि प्रकरण बंटवारे का है तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही न कर सीधे ही उन्हें सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही करावे । इस पर अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारान अभिभाषकगण की सहमति होने पर दोनों पक्षों के अभिभाषगण को सुना गया एवं वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का वाद स्वीकार किया गया तथा आधारभूत खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 वाके स्थित ग्राम दौलतखेडा की आराजी निहित वादी के 3/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का बंटवारा करने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार, पीसांगन को आदेशित किया कि उपरोक्तानुसार मौके पर जाकर बंटवारा करे । इस आदेशिका पर अधिवक्ता वादी एवं

अधिवक्ता प्रतिवादी श्री रूपचंद चौधरी के सहमति बाबत् हस्ताक्षर है जो कि स्वीकृत तथ्य है । कुरेजात रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 26.6.2012 एवं 6.7.2012 को नोटिस जारी कर मौके पर बुलाया गया परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट हरजी वल्द भागू ने दोनों बार नोटिस लेने से मना कर दिया इसके पश्चात् दिनांक 10.7.2012 को मौका पर्चा कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा अभिभाषक के विरूद्ध अथवा कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में कोई आपत्ति पेश नहीं की बल्कि दिनांक 20.9.2013 को तहसीलदार, पीसांगन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है । उपरोक्त सहमति के आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेशिका में दर्ज तथ्य के सही होने की उपधारणा मानी जाती है । अपीलांट ने अधिवक्ता श्री रूपचंद चौधरी को अभिभाषक नियुक्त नही किया हो ऐसा कोई कथन अपीलांट का नहीं है। विधिनुसार अभिभाषक की सहमति पक्षकार की सहमति मानी व समझी जाती है । वाद बाबत् बंटवारे का है । अधी0न्याया0 द्वारा सहमति के आधार पर बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया है एवं न ही कोई साक्ष्य ही पेश की है कि बंटवारे की अंतिम डिक्री अथवा कुरेजात रिपोर्ट किस प्रकार गलत है तथा बंटवारे के संबधं में बनाये गये राजस्थान टिनेन्सी नियम की किस प्रकार अवहेलना की गई है । रेस्पो0 संख्या 1 ने रेस्पो0 संख्या 3 को अंतिम डिक्री के उपरांत अंतिम डिक्री से प्राप्त भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा संभलाया है एवं रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा मौके पर 5–6 फुट उंची दीवार भी बना ली है तथा काबिज है । रेस्पो0 संख्या 3 को नुकसान पहुंचाने तथा परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है। अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 1233 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में यद्यपि उचित कारण अंकित नही किये है किन्तु हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 ग्राम दौलत खेड़ा, तह0 पीसांगन का बंटवारा का वाद मात्र अभिभाषक की सहमति के आधार पर विधिविरूद्ध डिक्री पारित की है । प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने का भी अवसर नही दिया गया है। अपीलांट के अभिभाषक ने अपीलांट के साथ धोखा कर गलत तौर पर सहमति के आधार पर प्रत्यर्थी का वाद डिक्री करवाया है जो अपास्त किया जावे । इस संबधं में पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत् 2065 में खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 भूमि नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 210.1.2009 के अनुसार बैचान से खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 पर लाडू, छोटिया, बरदा पि0 भागू के स्थान पर सांवरलाल पुत्र छोगा कौम जाट, सा0 नयागांव, गोला स्वीकार हुआ तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 20.5.2009 को बेचान से खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 पर सांवरलाल पुत्र छोगा के स्थान पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 जितेन्द्र शर्मा पुत्र नेमीचंद शर्मा कौम ब्राहमण,

सा0 पीसांगन के नाम स्वीकार होकर जमाबंदी में खातेदार दर्ज किया गया है । जमाबंदी एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 में 1/4 हिस्सा एवं प्रत्यथ्री/वादी का 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज होना प्रमाणित है । अपीलांट द्वारा अपने मीमो ऑफ अपील में अथवा बहस में यह कहीं कथन नही किया है कि जमाबंदी खाता संख्या 180 में उपरोक्त इंद्राज गलत हो तथा अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में यह कहीं आक्षेप नहीं है कि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का 1/4 हिस्से से अधिक हिस्सा हो किन्तु हिस्सा कम दर्ज किया गया है । अपीलांट का स्पष्ट कथन है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 862 में 1/4 हिस्सा ही है । अधी0न्याया0 द्वारा लोक अदालत की भावना से अपीलांट/प्रतिवादी के अभिभाषक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है । कुरेजात रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 26.6.2012 एवं 6.7.2012 को नोटिस जारी कर मौके पर बुलाया गया परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट हरजी वल्द भागू ने दोनों बार नोटिस लेने से मना कर दिया इसके पश्चात् दिनांक 10.7.2012 को मौका पर्चा कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा अभिभाषक के विरूद्ध अथवा कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में कोई आपत्ति पेश नहीं की बल्कि दिनांक 20.9.2013 को तहसीलदार, पीसांगन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है । उपरोक्त सहमति के आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेशिका में दर्ज तथ्य के सही होने की उपधारणा मानी जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 विधिसम्मत प्रतीत होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 ग्राम दौलतखैड़ा, तह0 पीसांगन स्थित भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.9.2013 को अंतिम डिक्री पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 का अपीलाधीन भूमि में 3/4 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/4 हिस्से का बंटवारे की आज्ञाप्ति पारित की है जिसके अनुसार कुरेजात रिपोर्ट आने के उपरांत खसरा नंबर 862 रकबा 0.51 है0 भूमि दक्षिण दिशा की ओर का विभाजन वादी/रेस्पो0 संख्या 1 जितेन्द्र कुमार के पक्ष में किया गया एवं अपीलांट/प्रतिवादी हरजी को खसरा नंबर 862 में से रकबा 0.17 है0 भूमि उत्तरी हिस्सा बंटवारा कर दिया गया है । तद्पपरांत राजस्व अभिलेख में अंतिम डिक्री की पालना में नामांतकरण संख्या 366 दिनांक 15.10.2014 को स्वीकृत किया गया तथा नवीन खसरा नंबर 1632/862 रकबा 0.51 है0 वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया एवं खसरा नंबर 1631/862 रकबा 0.17 है0 भूमि अपीलांट हरजी के नाम दर्ज की गई है । राजस्व नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम कर दी गई। वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.5.2018 आवेदनकर्ता को 1632/862 रकबा 0.51 है0 भूमि विक्रय कर कब्जा हस्तातंरित किया गया है । राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 531 दिनांक 8.6.2018 स्वीकृत किया गया तथा वर्तमान जमाबंदी 2069 से 2072 में खाता संख्या 81 में खसरा नंबर 1632/862 रकबा 0.51 है0 भूमि का आवेदनकर्ता खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा आवेदनकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर पूर्व व उत्तर में 6–7 फुट उंची दीवार का निर्माण कर काबिज है । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने में कोई अविधिकता एवं अनियमितता किया जाना प्रकट नही होता है । अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है ।

11. विद्वान अभिभाषक रस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 1233 भंवरलाल बनाम मै0 लेण्ड मार्क एक्जीक्यूटीव प्राईवेट लिमि0 एण्ड अदर्स में पारित निर्णय सुसंगत है । जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः– Rajasthan Tenancy Act, 1955- Section 53-Suit for partition-Preliminary decree passed on the basis of consent-Partition proposals receved from the Tehsildar and granted final decree-Appeal dismissed against the judgment of the Trial court-No signature of the parties regarding consent in order sheet but the counsel signed the order sheet facts mentioned in the order sheet shall be presumed to be correct Held Final decree passed in Lok Adalat on the basis of consent cannot be challenged.

12. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वाद संख्या 54/2010 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर